

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार व्याख्याता स्कूल शिक्षा (अंग्रेजी/संस्कृत) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद-मर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स	नाम व्या. मय विषय एवं पदस्थापन स्थान. सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	जन्म तिथि	व्याख्याता में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अरविन्द कुमार पाठक, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि सरोदा, डूंगरपुर	05.05.1959	डीपीसी	24.08.1985	III 30 वर्षीय	15600-39100	6000	24.08.2015
2	विनोद कुमार शर्मा, व्या. संस्कृत राउमावि बाड़ी, धौलपुर	03.09.1969	डीपीसी	01.07.1996	II 20 वर्षीय	9300-34800	5400	01.07.2016
3	योगेश्वर कुमार शर्मा व्या. संस्कृत, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक, चूरु	01.12.1962	डीपीसी	01.07.1992	II 20 वर्षीय	9300-34800	4800	01.07.2012

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावे।




(नथमल डिलेल)

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 25-9-2017

कमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी-संस्कृत/2017
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मा)
4. संबंधित संस्था प्रधान,
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर